न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/417

01. बोदूराम यादव पुत्र श्री परसादीराम यादव, जाति अहीर निवासी ढाणी फार्म के पास वाली, तहसील कोटपूतली दादूका जयपुर।
02. विजय सिंह यादव पुत्र श्री प्रहलाद यादव निवासी ग्राम कंवरपुरा पोस्ट गोरधनपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, राजस्थान।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

03. पालाराम पुत्र रूपाराम,
04. सुरेश चन्द पुत्र जयभगवान,
05. हंसराज पुत्र जयभगवान,
06. हीरालाल पुत्र रूपाराम,
07. रतिराज पुत्र प्रसादी,
08. रोताश पुत्र प्रसादी,
09. अनिल पुत्र लालचन्द,
10. धर्मपाल पुत्र प्रहलाद,
11. मीनादेवी पुत्री लालचन्द,
12. राकेश पुत्र लालचन्द,
13. रामसिंह पुत्र लालचन्द,
14. लालीदेवी पत्नी लालचन्द,
15. महादेव पुत्र रामनाथ,
16. कमलादेवी पत्नी लालूराम,
17. दाताराम पुत्र लालूराम,
18. प्रभात पुत्र खुबाराम,
19. बलवीर पुत्र खुबाराम,
20. बोदूराम पुत्र खुबाराम,
21. माया पुत्री लालूराम,
22. सत्यपाल पुत्र लालूराम,
23. सुन्दर लाल पुत्र लालूराम,
24. सुशीला पुत्री लालूराम,
25. ख्यालीराम पुत्र ठण्डूराम,
26. ~~छोटादेवी पत्नी रणजीत,~~
27. धूड़ाराम पुत्र ठण्डूराम,
28. प्रहलाद पुत्र ठण्डूराम,
29. बिरदीचन्द पुत्र ठण्डूराम,
30. राजकुमार पुत्र रणजीत,
31. रामसिंह पुत्र रणजीत,
32. लक्ष्मणसिंह पुत्र भूराराम,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

33. शिवराम पुत्र ठण्डूराम,
34. सुबेसिंह पुत्र ठण्डूराम,
35. सुमन देवी पत्नी ईश्वर सिंह,
36. सुरेन्द्र पुत्र रणजीत,
37. सरलाबाई पत्नी अनिल कमार,
38. साधूराम पुत्र भूराराम समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम कंवरपुरा पोस्ट गोरधनपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री एन.के. यादव, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 12.04.2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम दादूका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 2, 3, 4, 4/1, 4/4, 4/5, 66, 73, 74 के अपीलार्थीगण व तरतीबी रेस्पोडेन्ट मुतदाविया आराजीयात के काबिज भू अभिलिखित खातेदार काश्तकार है, उक्त आराजी में मौके पर कभी भी कोई रास्ता न तो राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज रहा है तथा ना ही मौके पर उक्त खसरा नम्बरान में वर्तमान में कोई रास्ता विधमान है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.11.2021 को रास्ते सम्बन्धी प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 10.08.2016 के क्रम में सीमा ग्राम दादूका के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प बसई में प्रेषित किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को बिना दर्ज रजिस्टर किये ही तथा सभी प्रभावित होने वाले उक्त खसरा नम्बरान के भू अभिलिखित काबिज खातेदारान काश्तकारान को बिना साक्ष्य, समर्थन व सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये बिना ही प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में दिनांक 30.11.2021 को बाला–बाला सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया एवं न्यायिक प्रक्रिया का दूरूपयोग करते हुये राजस्व लोक अदालत कैम्पों में अपनाई जाने वाले विधिक प्रक्रिया की मंशा के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध एवं विधिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्नीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र का हवाला देते हुये अपीलाधीन आदेश

P.T.O.

पारित किया है, वह परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का है एवं उक्त परिपत्र केवल 15.10.2016 तक ही राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत रास्ते सम्बन्धित अस्थाई निवारण हेतु पारित किया गया था जिसमे स्पष्ट रूप से तकमील किया गया था कि मौके पर कदीमी प्रचलित रास्तों को दर्ज करने के बाबत आदेश जारी था न कि नये सीरे से प्रस्तावित रास्ते जारी करने बाबत। उन्होने आगे कथन किया है कि विधायका द्वारा प्रत्येक भू अभिलिखित खातेदार काश्तकार के लिये नये रास्ते की आवश्यकता के मध्यनजर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधन करते हुये धारा 251(क) का प्रावधान पारित किया जा चुका है जिसके तहत किसी भी खातेदार को मुआवजा प्रदत्त कर उसकी खातेदारी में रास्ता प्रदत्त किये जाने का कानूनी प्रावधान है किन्तु उक्त कानूनी पहलू को भी नजरअन्दाज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित तहसीलदार रिपोर्ट कुछ भू माफिया लोगों से सांठ–गांठ कर कार्यवाही प्रेषित की गई जो सर्वथा गलत है और ऐसी अवैध एकपक्षीय पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध अपीलाधीन साइक्लोस्टाईल प्रकार का आदेश पारित कर अपने में निहित कानूनी हक अधिकरों का दुरूपयोग किये जाने के कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद सख्या 07220781305618 एवं 072236312080994 के सम्बन्ध में प्रेषित पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.08.2022 में भी खसरा नम्बर 4/4, 4/5, 66, एवं 74 से सहवन से रास्ता काटना अंकित किया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2021 कदीमी रूप से चालू स्थाई रास्तों के सम्बन्ध में पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 38 के अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के तथ्यों को समर्थन करते हुए अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2021 को निरस्त करने का कथन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार काश्तकारान है जिन्हे अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नही दिया गया है तथा अपील प्रस्तुत होने

में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है एवं अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.08.2022 में सहवन से खसरा नम्बर 4/2, 4/3, 67, एवं 69 की जगह खसरा नम्बर 4/4, 4/5, 66 एवं 74 में से रास्ता कट जाना अंकित किया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2021 न्यायोचित नही है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2021 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। साथ ही पक्षकारान को पाबन्द भी किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के निर्णय तक उक्त चालू रास्ते को किसी भी पक्षकारान द्वारा बन्द नही किया जावें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

12/4/2023
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।